International Journal for Multidisciplinary Research (IJFMR)
E-ISSN: 2582-2160 ● Website: www.ijfmr.com ● Email: editor@ijfmr.com

उत्तराखण्ड के पर्वतीय जनपद चम्पावत में सिडकुल की स्थापना की आवश्यकता का अध्ययन

डॉ० किरन कुमार पन्त[1] सोनिया विलासराय[2]

[1]असिस्टेन्ट प्रोफेसर (वाणिज्य विभाग) राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, चम्पावत
[2]शोध छात्रा (वाणिज्य विषय) पी.एन.जी. राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय रामनगर, नैनीताल

सारांशः
किसी देश या राज्य की अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ीकरण में, वहाँ स्थापित उद्योगों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। भारतवर्ष का नव निर्मित राज्य उत्तराखण्ड प्राकृतिक व मानवीय सम्पदा से धनी है और इसी कारण यहाँ औद्योगीकरण की अपार सम्भावनाऐं हैं परन्तु राज्य के पर्वतीय जनपदों की दुर्गम बनावट के कारण यह क्षेत्र औद्योगिक पिछड़ेपन की समस्या से ग्रसित है। राज्य के कुमाऊँ मण्डल में स्थित चम्पावत जनपद भी इसी औद्योगिक पिछड़ेपन की समस्या से ग्रसित है एवं यहाँ निवासरत लोग बेरोजगारी एवं पलायन की परेशानी से जूझ रहे हैं। जनपदवासी राज्य सरकार से अपने जनपद में औद्योगिक विकास हेतु अनेक वर्षों से गुहार लगा रहे हैं परन्तु जनपद में अभी तक औद्योगीकरण सम्भव नहीं हो पाया है। राज्य सरकार द्वारा अधिकृत औद्योगिक संस्थान सिडकुल के माध्यम से भी पर्वतीय जनपदों को औद्यागीकरण का कोई विशेष लाभ नहीं प्राप्त हो पाया है। पर्वतीय जनपद चम्पावत में विद्यमान औद्योगिक पिछड़ेपन की समस्या को विस्तृत रूप से जानने व समझने के उद्देश्य से प्रस्तुत शोध पत्र में जनपद चम्पावत में सिडकुल की स्थापना की आवश्यकता का अध्ययन किया गया है तथा प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर सुझाव प्रस्तुत किये गए हैं।

बीज शब्दः उत्तराखण्ड, कुमाऊँ, चम्पावत, पलायन, सिडकुल, पर्वतीय जनपद, पर्यटन, उद्योग, औद्योगिक विकास, औद्योगीकरण।

प्रस्तावनाः

भारत के उत्तरी भाग में बसा राज्य उत्तराखण्ड अपने नैसर्गिक सौन्दर्य के कारण विख्यात है। देश के 27वें राज्य उत्तराखण्ड का गठन, 9 नवम्बर 2000 को अनेक संघर्षों व शहीदों के बलिदान के परिणामस्वरूप हुआ। यह राज्य कुमाऊँ एवं गढ़वाल नामक दो मण्डलों में विभक्त है। राज्य में कुल 13 जनपद स्थापित हैं जिनमें कुमाऊँ मण्डल के अन्तर्गत 1 पूर्णतः मैदानी एवं शेष 5 पर्वतीय जनपद तथा गढ़वाल मण्डल के अन्तर्गत 1 पूर्णतः मैदानी एवं शेष 6 पर्वतीय जनपद सम्मिलित हैं। राज्य में पर्यटन व पर्यटन पर आधारित उद्योगों की अपार सम्भावनाऐं हैं परन्तु राज्य के दुर्गम मार्गों एवं विषम भौगोलिक परिस्थितियों के कारण राज्य के पर्वतीय जनपदों में केवल पर्यटन ही फल–फूल पाया है जबकि पर्यटन पर आधारित उद्योगों का विकास सम्भव नहीं हो पाया है, इसके अतिरिक्त पूर्व से स्थापित पर्यटन पर आधारित उद्योग एवं अन्य उद्योग भी अपने अस्तित्व को बनाये रखने के लिए संघर्षशील हैं। राज्य सरकार द्वारा अधिकृत औद्योगिक संस्थान सिडकुल के अन्तर्गत स्थापित उद्योगों को प्राप्त रियायतें एवं अनुदानों के फलस्वरूप राज्य के मैदानी क्षेत्रों में अभूतपूर्व औद्योगिक विकास हुआ है परन्तु पर्वतीय जनपदों को सिडकुल का कोई विशेष लाभ नहीं प्राप्त हो पाया है और इन्हीं जनपदों की सूची में सम्मिलित कुमाऊँ मण्डल में स्थित जनपद चम्पावत भी औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है।

1. साहित्य की समीक्षाः

मलकानी, भुवन चंद्र (1983)[i]– अपने शोध ग्रंथ में लेखक ने उत्तर प्रदेश के पर्वतीय जनपदों विशिष्टता कुमाऊँ मण्डल की औद्योगिक क्षमता एवं आर्थिक विकास पर शोध किया है। अपने शोध में उन्होंने पाया की देश के स्वतंत्र होने के बाद पर्वतीय क्षेत्र के कुमाऊँ मण्डल में आधारभूत संरचना की सुविधाओं में वृद्धि केवल शहरी क्षेत्रों में ही हुई है जबकि ग्रामीण क्षेत्र अभी भी इससे वंचित हैं। क्षेत्र की विषम भौगोलिक परिस्थितियों के कारण रेल मार्गों का निर्माण सम्भव न होने की वजह से सड़क यातायात का महत्व और बढ़ जाता है इसलिए पंचवर्षीय योजनाओं में सड़क यातायात के विकास पर ध्यान दिया गया परन्तु अभी भी सड़क यातायात में अनेक बाधाऐं हैं। अभी भी ज्यादातर मोटर मार्गों में पहाड़ की ओर से दीवारें ना होने के कारण वर्षा ऋतु में भूस्खलन होने का डर रहता है जिस कारण मोटर मार्गों का पूर्ण रूप से उपयोग नहीं हो पा रहा है।

जोशी, पूरन चंद्र (1986)[ii]– शोधकर्ता को वर्ष 1986 में पंचवर्षीय योजनाओं में कुमाऊँ का आर्थिक विकास विषय पर शोध करने पर ज्ञात हुआ कि पर्वतीय क्षेत्र के पिछड़ेपन के प्रमुख कारण विषम भौगोलिक स्थलाकृति, कृषि हेतु सीमित भूमि, सिंचाई के साधनों की कमी व औद्योगिकीकरण का अभाव है। यहाँ पर्याप्त मात्रा में प्राकृतिक संसाधन है परन्तु फिर भी इन संसाधनों का क्षेत्रीय विकास हेतु प्रयोग नहीं हुआ है। यहाँ से निकलने वाली नदियों का पूर्ण उपयोग न तो सैलानियों के लिए, न नाविकों के लिए, न

व्यापारियों के लिए और न ही कृषि लाभार्थ के लिए हो पाता है क्योंकि इन नदियों का प्रवाह तीव्र, कर्कश, गहरा और चंचल है। क्षेत्र में रोजगार की कमी होने के कारण यहाँ का शिक्षित वर्ग रोजगार की तलाश में मैदानी क्षेत्रों की ओर जा रहा है। यहाँ पर मौसमी प्रवासीकरण की अपेक्षा दीर्घकाली प्रवासीकरण अधिक है।

सिंह, मनोज (2002)[iii]– श्री मनोज सिंह ने अपने शोध अध्ययन में उत्तराखण्ड के औद्योगिक विकास में आने वाली बाधाओं एवं संभावनाओं की व्याख्या करते हुए बताया कि उत्तराखण्ड में प्राकृतिक और मानवीय संसाधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं परन्तु फिर भी उत्तराखण्ड का पहाड़ी क्षेत्र उद्योग शून्य है। लेखक कुटीर एवं लघु उद्योगों के पतन के कारणों का पता लगाने के लिए क्षेत्र सर्वेक्षण एवं अध्ययन के दौरान पाया कि दूर–दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार द्वारा किसी भी प्रकार का प्रोत्साहन व सहायता न दिए जाने के कारण वहाँ के शिल्पी अपनी पहचान खोते जा रहे हैं।

कौशल, हरी राम (2002)[iv]– श्री हरी राम कौशल जी ने कुमाऊँ में कृषि आधारित उद्योगों का विकास, समस्याऐं एवं संभावनाऐं विषय पर शोध के दौरान पाया कि कुमाऊँ मण्डल का पर्वतीय भाग आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है जबकि मैदानी भाग पूर्ण रूप से विकसित है और वहाँ पर सभी प्रकार की आधारभूत सुविधाऐं उपलब्ध हैं । इस भिन्नता का एक मुख्य कारण यहाँ की भौगोलिक बनावट में भिन्नता तथा शासन की गलत नीतियों की वजह से मण्डल के अनियोजित विकास का होना है।

कुमार, विजय (2005)[v]– श्री विजय कुमार जी द्वारा अपने शोध ग्रंथ में कुमाऊँ मण्डल में उद्यमिता विकास की संभावनाओं पर एक विश्लेषणात्मक अध्ययन किया गया। लेखक को शोध अध्ययन के दौरान ज्ञात हुआ कि कुमाऊँ मण्डल के पर्वतीय भाग में उद्यमिता विकास की गति मंद है तथा यह भाग औद्योगिक रूप से पिछड़ा हुआ है जबकि मण्डल के तराई–भाबर क्षेत्र में उद्यमिता विकास की गति तीव्र है तथा अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा तराई भाबर क्षेत्र औद्योगिक रूप से संपन्न है। **डॉ० तिवारी, मनीषा एवं पूनम (2018)[vi]–** औषधीय वनस्पति फरण (जम्बू) के कृषिकरण का स्थानीय भोटिया जनजाति के लोगों के रहन–सहन तथा रोजगार में प्रभाव का अध्ययन नामक शोध में लेखिका द्वारा बताया गया कि औषधीय वनस्पति ''फरण'' की उचित विपणन प्रणाली न होने के कारण स्थानीय बाजारों में माँग होने पर बिक नही पाता है। अतः सरकार को चाहिए कि इसके कृषिकरण तथा विपणन को लेकर उचित नीति व योजना बनाई जाये जिससे कि स्थानीय लोगों को इसका पूरा लाभ मिल पायेगा व इनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकेगाा फलस्वरूप उत्तराखण्ड में व्याप्त पलायन की समस्या पर अंकुश लगाया जा सकता है।

2. अध्ययन के उद्देश्यः

- जनपद चम्पावत में सिडकुल की स्थापना की आवश्यकता की गम्भीरता का अध्ययन।
- जनपद चम्पावत में औद्योगिक विकास हेतु सुझाव प्रस्तुत करना।
- जनपद चम्पावत से हो रहे पलायन की स्थिति एवं कारणों को स्पष्ट करना।

3. अध्ययन पद्धतिः

यह शोध पत्र मुख्य रूप से विवेचनात्मक अध्ययन पद्धति पर आधारित है। वर्तमान अध्ययन उत्तराखण्ड के पर्वतीय जनपद चम्पावत में सिडकुल की स्थापना की आवश्यकता के अध्ययन से सम्बन्धित है अतः यह शोध पत्र पूर्णतः द्वितीयक स्रोतों पर आधारित है। इस अध्ययन के मूल स्रोत उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड, ग्राम्य विकास एवं पलायन निवारण आयोग उत्तराखण्ड, जिला उद्योग केंद्रों तथा अध्ययन से सम्बन्धित विभिन्न वेबसाइट आदि हैं।

4. चम्पावत का सामान्य परिचयः

चम्पावत को राज्य में संस्कृति व धर्म की उत्पत्ति के स्थान के रूप में जाना जाता है। सन् 1972 से पूर्व चम्पावत, अल्मोड़ा जनपद का एक भाग था परन्तु 1972 में इसे अल्मोड़ा से अलग करके पिथौरागढ़ में सम्मिलित कर लिया गया व सन् 1997 में पिथौरागढ़ से पृथक कर इसे एक नये जनपद का सृजन किया गया। यह हिन्दुओं व सिक्खों की तीर्थस्थली है। प्रशासनिक दृष्टि से जनपद के अन्तर्गत 4 विकास खण्ड; पाटी, बाराकोट, लोहाघाट व चम्पावत आते हैं। जनपद का क्षेत्रफल 1766 वर्ग किमी है। 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ की कुल जनसंख्या 259648 है जिनमें पुरूषों की संख्या 131130 एवं स्त्रियों की संख्या 128518 है। यहाँ की साक्षरता दर 68.45 प्रतिशत है जिसमें पुरूषों की साक्षरता दर 57.40 प्रतिशत तथा स्त्रियों की साक्षरता दर 42.60 प्रतिशत है।[vii] ''टनकपुर–तवाघाट राष्ट्रीय राजमार्ग में टनकपुर से 75 किलोमीटर की दूरी पर चारों ओर से ऊँची–ऊँची वनाच्छादित पर्वत श्रेणियों के मध्य एक समतल क्षेत्र में जनपद चम्पावत का मुख्यालय चम्पावत नगर स्थित है। घने बांज, बुरांश, देवदार आदि के वृक्षों एवं सघन झुरमुटों से आच्छादित पर्वत श्रेणियों का ढलान चम्पावत की ओर होने से शहर की छटा अति मनोहर हो जाती है। देवभूमि उत्तराखण्ड के पर्यटन स्थलों में चम्पावत अपनी विशिष्ट पहचान रखता है। अतीत में ऐतिहासिक गतिविधियों का केन्द्र रहा यह स्थल प्राचीन शिल्पकला, चित्ताकर्षक कृतियों, अपार प्राकृतिक सौन्दर्य एवं आध्यात्मिक स्थलों से परिपूर्ण है।''[viii]

5. सिडकुल का परिचयः

सिडकुल, उत्तराखण्ड सरकार का एक उद्यम है जो कि वर्ष 2002 में 50 करोड़ रुपये की अधिकृत शेयर पूँजी के साथ एक लिमिटेड कम्पनी के रूप में शामिल किया गया था। सिडकुल–स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर एण्ड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड उत्तराखण्ड सरकार का एक औद्योगिक संस्थान है। नव निर्मित उत्तराखण्ड राज्य में सीधे या विशेष प्रयोजन माध्यमों, निवेश सहायता प्राप्त कम्पनियों आदि के माध्यम से आवश्यक बुनियादी ढाँचे एवं औद्योगिक विकास द्वारा राज्य का समग्र औद्योगिक विकास करने के उद्देश्य से सिडकुल की स्थापना का एक मुख्य उद्देश्य है।[ix]

➢ **सिडकुल के मुख्य कार्य–**

- उद्योगों को बुनियादी सुविधाऐं एवं अनुकूल वातावरण प्रदान कराना।
- उद्योगों की स्थापना हेतु आवश्यक सुविधाऐं प्रदान करना।
- आधारभूत संरचनाओं का विकास करना।
- उद्यमियों को वित्तीय सलाह प्रदान करना।
- उद्योगों के लिए सुलभ ऋण उपलब्ध कराना आदि।

➢ **सिडकुल की स्थापना के मुख्य उद्देश्य[x]:**

- उच्च गुणवत्ता वाली विश्व स्तरीय बुनियादी सुविधाओं का निर्माण करना।
- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) और अन्य प्रमुख बाजारों से सम्पर्क बढ़ाने के लिए।
- परियोजना मंजूरी में तेजी लाने के लिए राज्य में एकल खिड़की सुविधा प्रदान करना।
- औद्योगिक उद्यमों और बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं की स्थापना के लिए भूमि उपलब्ध कराना।
- बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं के विकास और प्रबंधन में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देना और प्रोत्साहित करना।
- उद्योगों के लिए सुनिश्चित अच्छी गुणवत्ता, निर्बाध और सस्ती बिजली प्रदान करना।
- विशेष रूप से लघु उद्योग, कुटीर, खादी, ग्रामोद्योग, हस्तशिल्प, रेशम और हथकरघा क्षेत्रों को बढ़ावा देना।
- उद्योग, विशेष रूप से लघु उद्योगों में रुग्णता और प्रारम्भिक रुग्णता की समस्याओं का समाधान करने के लिए।
- उत्तराखण्ड को एक प्रमुख शिक्षा एवं अनुसंधान केन्द्र के रूप में विकसित करना।

6. चम्पावत का औद्योगिक परिचयः

उत्तराखण्ड राज्य के गठन के 22 वर्ष पश्चात भी इस राज्य के जनपद चम्पावत में औद्योगिक विकास सम्भव नहीं हो पा रहा है। जनपद का युवा वर्ग रोजगार की तलाश में अपने निवास स्थान से पलायन करने के लिए विवश है। राज्य में मात्र 1445 सूक्ष्म औद्यागिक इकाईयाँ स्थापित हैं जिनमें 5390 लाख का निवेश हुआ है एवं इनसे 4360 लोगों को रोजगार मिला है। जनपद में लघु, मध्यम एवं वृहद् औद्योगिक इकाईयों का कोई अस्तित्व नहीं है।[xi] राज्य में औद्योगिक निवेश, स्थापित औद्योगिक इकाईयों एवं सृजित औद्योगिक रोजगार की स्थिति देखें तो ज्ञात होता है कि जनपद चम्पावत इन सबमें राज्य का सबसे पिछड़ा जनपद है।[xii] निम्नलिखित सारणी में जनपद चम्पावत की औद्योगिक स्थिति की स्थिति दर्शायी गई–

सारणी संख्या–1

जनपद चम्पावत की औद्योगिक स्थिति

क्र० सं०	विवरण	कुल योग
1.	कुल स्थापित औद्योगिक इकाईयाँ	1445
2.	कुल निवेशित पूँजी	5390 (लाख में)
3.	कुल रोजगार	4363

स्त्रोतः उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड से प्राप्त आँकड़ों पर आधारित

ग्राफ संख्या–1
जनपद चम्पावत की औद्योगिक स्थिति

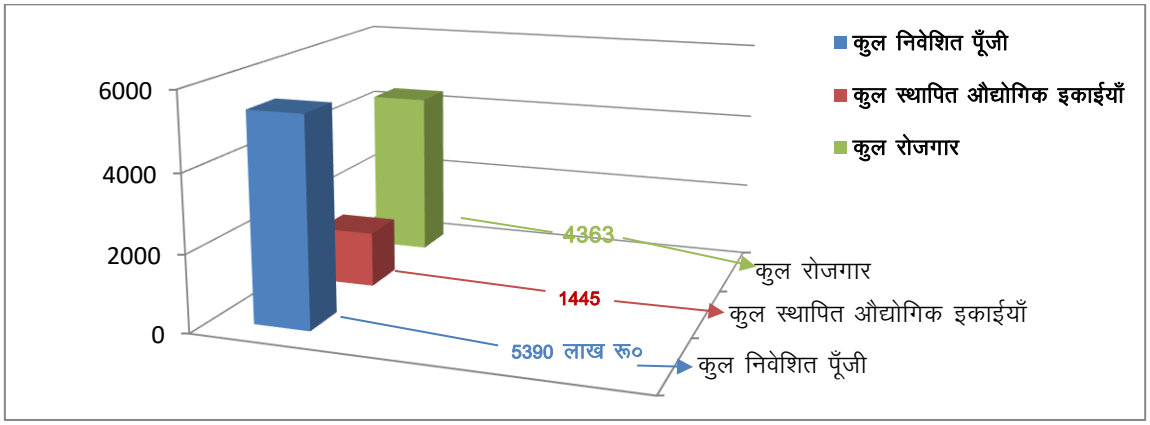

स्त्रोतः उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड से प्राप्त आँकड़ों पर आधारित

7. जनपद चम्पावत में सिडकुल की स्थापना की आवश्यकताः

उत्तराखण्ड के कुमाऊँ मण्डल के ऊधम सिंह नगर व नैनीताल जनपद में सिडकुल स्थापित है हालाँकि ऊधम सिंह नगर, नैनीताल की अपेक्षा औद्योगिक विकास के क्षेत्र में अधिक आगे है। जनपद ऊधम सिंह नगर व नैनीताल जनपद की तर्ज पर जनपद चम्पावत में भी औद्योगिक विकास के लिए सिडकुल की स्थापना की जानी चाहिए, सिडकुल की स्थापना की इस आवश्यकता को और अधिक स्पष्ट रूप से जानने के लिए अग्रलिखित आँकड़ों को जानना आवश्यक है– यदि पलायन आयोग द्वारा प्रकाशित आँकड़ों को देखा जाये तो ज्ञात होता है कि सन् 2018 से 2022 तक जनपद चम्पावत से अस्थायी रूप से पलायन करने वालों की संख्या 13711 है और अस्थायी पलायन की इस समस्या से कुल 304 में से 263 ग्राम पंचायतें प्रभावित हुई हैं। यदि स्थायी रूप से पलायन करने वालों का आँकड़ें देखा जाये तो ज्ञात होता है कि सन् 2018 से 2022 तक जनपद चम्पावत से 1588 लोग स्थायी रूप से पलायन कर चुके हैं व 90 ग्राम पंचायतें स्थायी पलायन की समस्या से ग्रसित हैं। पलायन की इस समस्या ने चम्पावत जनपद के 61 गाँवों को निर्जन कर दिया है।[xiii]

सारणी संख्या – 2
जनपद चम्पावत में पलायन की स्थिति

क्र०सं०	अस्थायी / स्थायी पलायन	पलायन से सम्बन्धित आँकड़ें	
1.	स्थायी रूप से पलायन करने वालों की संख्या	7886	1588
2.	स्थायी पलायन से प्रभावित ग्राम पंचायतों की संख्या	208	90
3.	अस्थायी रूप से पलायन करने वालों की संख्या	20332	13711
4.	अस्थायी पलायन से प्रभावित ग्राम पंचायतों की संख्या	304	263

स्त्रोतः ग्राम्य विकास एवं पलायन निवारण आयोग, उत्तराखण्ड से प्राप्त आँकड़ों पर आधारित

उपरोक्त आँकड़ों के माध्यम से ज्ञात होता है कि जनपद में पलायन की कितनी भीषण समस्या विद्यमान है परन्तु इस समस्या के मुख्य कारणों को जानने के लिए अग्रलिखित आँकड़ों को जानना भी अति आवश्यक है– पलायन की इस समस्या को जानकर ये प्रश्न उठना स्वभाविक है कि आखिर लोग पलायन क्यों कर रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं। पलायन आयोग द्वारा प्रकाशित आँकड़ों के अनुसार जनपद चम्पावत से होने वाले पलायन में से लगभग; 50% पलायन जनपद के अन्य क्षेत्रों में, 21% पलायन राज्य के अन्य जिलों में व 29.50% पलायन अन्य राज्यों में एवं 0.50% पलायन विदेशों में हुआ है।[xiv] इन आँकड़ों के माध्यम से स्पष्ट हो रहा है कि 50% प्रतिशत पलायन जनपद के बाहर हुआ है जो कि एक बहुत बड़ा प्रतिशत है। जनपद में से होने वाले पलायन के कारणों को निम्नलिखित सारणी के माध्यम से स्पष्ट किया गया है–

सारणी संख्या–3
जनपद चम्पावत से पलायन के कारण

क्र०सं०	जनपद चम्पावत से पलायन के कारण	पलायन के आँकड़े (%में)
1.	आजीविका/रोजगार की समस्या	53.10
2.	चिकित्सा सुविधा का अभाव	7.16
3.	शिक्षा सुविधा का अभाव	10.49
4.	बुनियादी सुविधाओं (सड़क, बिजली, पानी व अन्य) का अभाव	5.41
5.	कृषि भूमि में उत्पादकता/पैदावार की कमी	7.47
6.	परिवार/सगे सम्बन्धियों की देखा–देखी में पलायन करना	4.80
7.	जंगली जानवरों के द्वारा कृषि को हानि होने के कारण	6.36
8.	अन्य कोई विशेष कारण	5.21
	योग	100

स्त्रोतः ग्राम्य विकास एवं पलायन निवारण आयोग, उत्तराखण्ड से प्राप्त आँकड़ों पर आधारित

पाई चार्ट संख्या–1
जनपद चम्पावत से पलायन के कारण

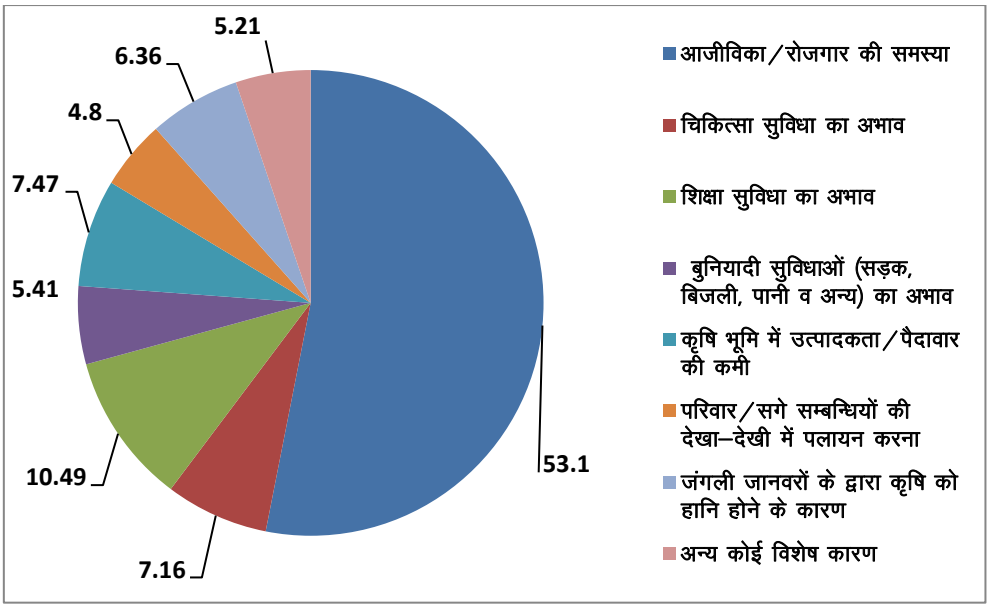

स्त्रोतः ग्राम्य विकास एवं पलायन निवारण आयोग, उत्तराखण्ड से प्राप्त आँकड़ों पर आधारित

उपरोक्त सारणी संख्या 3 में बताये गये पलायन के कारणों में से सबसे प्रमुख कारण जनपद में विद्यमान बेरोजगारी की समस्या है इसी समस्या के चलते लोग आजीविका की तलाश में अन्य जनपदों की ओर पलायन करते हैं। सारणी से स्पष्ट होता है कि जनपद का 53.10 प्रतिशत पलायन केवल रोजगार की समस्या के कारण हो रहा है, यदि जनपदवासियों को जनपद चम्पावत में ही रोजगार के अवसर उपलब्ध करवा दिए जाऐं तो यहाँ से होने वाले 53.10 प्रतिशत पलायन पर स्वतः ही अंकुश लग जाएगा एवं पलायन के अन्य प्रमुख कारणों के समाधान का भी आधार मिलने की सम्भावना बढ़ जाएगी। जनपद चम्पावत में रोजगार के अवसरों की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए औद्योगिक विकास करना अत्यन्त आवश्यक है यदि चम्पावत में भी सिडकुल की स्थापना होती है तो यह निश्चित है कि यहाँ भी औद्योगिक निवेश बढ़ेगा एवं रोजगारों में वृद्धि होगी फलस्वरूप रोजगार की कमी के कारण हो रहे पलायन पर भी रोक लगेगी अन्ततः यह कहना उचित होगा कि जनपद चम्पावत में सिडकुल की स्थापना करना अत्यन्त आवश्यक है।

8. निष्कर्ष एवं सुझावः

उत्तराखण्ड के पर्वतीय जनपद चम्पावत में राज्य के गठन के लगभग 22 वर्ष उपरान्त भी औद्योगिक विकास सम्भव नहीं हो पाया है। यहाँ आज भी बेरोजगारी एवं पलायन की गम्भीर स्थिति विद्यमान है। जनपद के अनेक गाँव निर्जन (ऐसे गाँव जहाँ एक भी

व्यक्ति न हो) हो चुके हैं। लगभग पिछले डेढ़ दशक से जनपद चम्पावत के एकमात्र मैदानी क्षेत्र टनकपुर में सिडकुल की स्थापना को लेकर माँग उठ रही है परन्तु अभी तक किसी भी राज्य सरकार द्वारा इस माँग ओर कोई विशेष ध्यान नही दिया गया है। जनपद चम्पावत के सर्वांगीण विकास हेतु ये अत्यन्त आवश्यक है कि राज्य सरकार द्वारा जनपद में सिडकुल स्थापित करने हेतु त्वरित कार्यवाही की जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त जनपद के दुर्गम ग्रामीण क्षेत्रों को शहरों से जोड़ने के लिए परिवहन व्यवस्था दुरूस्त की जानी चाहिए। जनपद में पर्यटन को प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि पर्यटन पर आधारित उद्योगों के लिए भी एक आधार तैयार हो सके। जनपद के पर्वतीय क्षेत्र में सिडकुल स्थापित कर, वहाँ उपलब्ध कच्चे माल पर आधारित कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

जनपद चम्पावत में पाई जाने वाली बद्री गाय के नाम से प्रचलित कामधेनु गाय का दूध अत्यन्त ही स्वास्थवर्धक होता है इसी कारण इस गाय का दूध बाजार में 5500 रू० ली० बिकता है। कामधेनु गाय के पालन के लिए केवल पर्वतीय क्षेत्र की जलवायु ही उपयुक्त होती है इसलिए यदि राज्य सरकार द्वारा इस पर विशेष ध्यान देते हुए जनपद में सिडकुल के अन्तर्गत ऐसे कुटीर उद्योग लगाए जायें जिसमें कामधेनु गाय के दूध से बने उत्पाद जैसे कि पनीर, मक्खन, घी, चीज़, दूध पाउडर, आइसक्रीम, श्रीखंड, दूध से बनी मिठाइयाँ, लस्सी, छाछ, दही, सुगंधित दूध, दूध की क्रीम आदि, निर्मित किए जा सके तो कामधेनु गाय के पालन को भी प्रोत्साहन मिलेगा एवं औद्योगिक विकास भी होगा।

जनपद की जलवायु कीवी की पैदावार के लिए भी अनुकूल है इसलिए सिडकुल के अन्तर्गत कीवी से बनने वाले उत्पादों जैसे कि मुरब्बा, जैम, जेली, जूस, कीवी वाइन, कीवी के फल की प्यूरी जो कि मिठाइयों में प्रयोग होती है, दही, जैम, आइसक्रीम, स्मूदी, दही, पेस्ट्री, केक, मफिन, सलाद, केक, कुकीज आदि के उद्योग भी लगाए जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ की जलवायु मशरूम व चाय की खेती के लिए भी उपयुक्त है एवं चाय की खेती को जंगली जानवरों से भी खतरा नहीं होता है इसलिए यहाँ पर चाय एवं मशरूम की खेती को प्रोत्साहित करके इन पर आधारित उद्योग भी सिडकुल के अन्तर्गत लगाए जाने चाहिए। चम्पावत की जलवायु सेब के उत्पादन के लिए उपयुक्त है इसलिए यहाँ पर सिडकुल के अन्तर्गत कुटीर उद्योगों में जैसे कि जैम, मुरब्बा, सिरका, जूस, केक, बिस्किट, एप्पल वाइन, पेक्टिन केमिकल, जेली, आइसक्रीम आदि का निर्माण किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त औषधि उद्योग लगाने हेतु जनपद में अनेक औषधीय जड़ी बूटियाँ भी पाई जाती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि चम्पावत जनपद में औद्योगिक विकास की अनेक सम्भावनाऐं विद्यमान हैं इसीलिए राज्य सरकार द्वारा इस ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।

सन्दर्भ–सूची

1. *मलकानी, भुवन चंद्र, (1983), ''उत्तर प्रदेश के पर्वतीय जनपदों विशिष्टता कुमाऊँ मण्डल की औद्योगिक क्षमता एवं आर्थिक विकास'', पीएच० डी० शोध प्रबन्ध, कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल।*
2. *जोशी, पूरन चंद्र, (1986), ''पंचवर्षीय योजनाओं में कुमाऊँ का आर्थिक विकास – एक तुलनात्मक अध्ययन'', पीएच० डी० शोध प्रबन्ध, कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल।*
3. *सिंह, मनोज, (2002), ''उत्तराखण्ड का औद्योगिक विकास (समस्याएं एवं संभावनाएं)'', पीएच० डी० शोध प्रबन्ध, कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल।*
4. *कौशल, हरी राम, (2002), ''कुमाऊँ में कृषि आधारित उद्योगों का विकास, समस्याएं एवं संभावनाएं'', पीएच० डी० शोध प्रबन्ध, कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल।*
5. कुमार, *विजय, (2005), ''पर्वतीय क्षेत्र में औद्योगिक पिछड़ापन'', पीएच० डी० शोध ग्रंथ कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल।*
6. https://www.jetir.org/papers/JETIR1808649.pdf.
7. *https://champawat.nic.in/hi/*
8. *वर्मा, इन्द्र लाल (2014), ''जनपद चम्पावत के दर्शनीय स्थल'', विनसर पब्लिशिंग कम्पनी, देहरादून, उत्तराखण्ड, पृष्ठ संख्या 17।*
9. *https://www.siidcul.com/*
10. *तदैव।*
11. *उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड।*
12. *तदैव।*
13. *उत्तराखण्ड के ग्राम पंचायतों में पलायन की स्थिति पर द्वितीय अंतरिम रिपोर्ट फरवरी 2023, ग्राम्य विकास एवं पलायन निवारण आयोग, उत्तराखण्ड, पृष्ठ संख्या 40–57।*
14. *तदैव, पृष्ठ संख्या 70।*